संख्या-26/2024/268/22-4-2024-1799661

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक- 16 मार्च, 2024

विषय- प्रदेश की 19 कारागारों पर सीसीटीवी, सर्वर, ऑनलाइन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरणों की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-6735/आधु-1/क्रय-समिति-विशिष्टियॉ/23-24, दिनांक 12-03-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की 19 कारागारों पर सीसीटीवी, सर्वर, ऑनलाईन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरणों की व्यवस्था हेतु "उ०प्र० डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड (उ०प्र० सरकार का उपक्रम)" को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये विशिष्टियों में सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 60 दिवस तक सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान कराने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार की शासकीय उपक्रम "उ०प्र० डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड" को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये संगत मद से धनराशि रू0 641.135 लाख का अग्रिम भुगतान उ०प्र० डेवलपमेंट सिस्टम्स कारपोरेशन लिमिटेड को किये जाने पर अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश की 19 कारागारों पर सीसीटीवी, सर्वर, ऑनलाईन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरणों की व्यवस्था हेतु श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित करते हुये विशिष्टियों में सीसीटीवी फुटेज को कम से कम 60 दिवस तक सुरक्षित रखे जाने का प्रावधान करने तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में संगत मद से प्रदेश की 19 कारागारों पर सीसीटीवी, सर्वर, ऑनलाईन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरणों की व्यवस्था हेतु शासनादेश संख्या-02/2024/920/001-22-4-2022-1754114, दिनांक 04-01-2024 द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 641.135 लाख का 40 प्रतिशत अर्थात धनराशि **रू0 256.454 लाख (रूपया दो करोड़ छप्पन लाख पैंतालीस हजार चार सौ मात्र)** का अग्रिम भुगतान श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड को किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं:-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु ही जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

(2) पिछले स्वीकृत किये गये अग्रिम एवं अब स्वीकृत किये जा रहे अग्रिम के समायोजन की स्थिति से वित्त विभाग को प्रत्येक दशा में अवगत कराया जायेगा। समायोजन सुनिश्चित हो जाने के उपरान्त ही अगले अग्रिम आहरण का प्रस्ताव किया जायेगा।

(3) प्रॉक्योरमेन्ट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.8 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आवश्यक कार्यवाही कराई जायेगी।

(4) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ प्रश्नगत धनराशि को स्टेट जेम पूल एकाऊन्ट के अन्यत्र किसी अन्य खाते में नहीं रखेंगे ।

(5) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उपकरणों का क्रय उपकरण/ सेवाओं का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनु- 2 के शासनादेश दिनांक 23.08.2017 में दी गई व्यवस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करके नियमानुसार किया जाएगा । इस सम्बन्ध में उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल एवं अन्य संगत वित्तीय नियमों / शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

(6) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ वित्तीय वर्ष 2023-24 के समापन में अत्यन्त अल्प अवधि के दृष्टिगत प्रश्नगत कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को अग्रिम धनराशि अवमुक्त किये जाने को संज्ञान में लेते हुए यह सुनिश्चित करेगें कि प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था के पास अनावश्यक उपलब्ध न रहे।

(7) प्रदेश की 19 कारागारों पर 600 सीसीटीवी कैमरे नवीन तकनीकी के स्थापित किए जाने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ/नामित कार्यदायी संस्था का होगा।

(8) वीडियो फुटेज को कम से कम 60 दिवस की सुरक्षित होने हेतु आंकलित हार्डडिस्क लगाने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ/नामित कार्यदायी संस्था का होगा।

(9) उक्त के अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों की प्रत्येक विशिष्टियाँ नवीन तकनीकी के अनुसार ही उपकरणों का संस्थापन कार्य कराने का दायित्व महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ/नामित कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(10) महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ/नामित कार्यदायी संस्था द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के शासनादेश दिनॉक 23. 08.2017 के अनुसार ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से उपकरणों के क्रय तथा कारागारों में संस्थापन की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12 की अशासकीय संख्या-E-12-599-X-2023-24 -दिनांक: 16-03-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

संख्या-26/2024/268(1)/22-4-2024-1799661-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) प्रबन्ध निदेशक, श्रीट्रॉन इण्डिया लिमिटेड।
(4) मुख्य कोषाधिकारी ,जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(7) निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
(8) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय- व्ययक) अनुभाग-1/2
(9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।